कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन,शासकीय(स्वशासी)यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय

(कोलार–नेहरू नगर बायपास रोड, मेनिट के पीछे,भोपाल 462003)

Web: www.gumcbhopal.in E.mail: gumcbhopal@gmail.com दूरभाष क्रं. –0755–2970354

(खाद्य सामग्री (सब्जी/फल/दूध) की आपूर्ति हेतु ई–निविदा के नियम एवं शर्ते)

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु **खाद्य सामग्री (सब्जी/फल/दूध)** की आपूर्ति हेतु (वर्ष 2025–26) ई–निविदा प्रकिया के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो कि https://mptenders.gov.in पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्ते महाविद्यालय की वेबसाइट www.gumcbhopal.in पर भी प्रदर्शित हैं।

1. ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि ~~07.04.2025~~ 22.04.2025 को सायं 05.00 बजे तक है एवं निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि ~~08.04.2025~~ 23.04.2025 को सायं 05.00 बजे तक है।
2. ई–निविदा बिड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
3. इच्छुक ई–निविदाकर्ता ऑनलाइन mptenders.gov.in से ई–निविदा राशि रू. 1000/– का भुगतान कर सकते हैं, जिसको mptenders.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक ऑनलाईन सबमिट की जाना है।
4. ई.एम.डी.राशि रूपये 4000.00 शब्दों में (चार हजार मात्र) जिसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से mptenders.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptenders.gov.in के माध्यम से लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबंध राशि के 3 प्रतिशत राशि रूपये 6000.00 तक) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से महाविद्यालय में जमा करना होगी। निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी। म.प्र.के लघु उद्यम तथा स्टॉटअप को ई.एम.डी. राशि के भुगतान में छूट रहेगी। ई.एम.डी.राशि छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज ई–निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है।
5. अनुबंधित फर्म को उचित गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। इस हेतु कोई भाड़ा/हम्माली पृथक से देय नहीं होगी।
6. वित्तीय निविदा प्रपत्र–02 अनुसार दरें https://mptenders.gov.in पर ई–निविदा की एक्सल शीट BOQ में ही अंकित करना है।

17/03/25 17/3/25 17/3/25

सामग्री आपूर्ति को व्यवहारिक एवं आसान किये जाने हेतु ई वित्तीय निविदा का प्रपत्र –02 अनुसार सामग्री की दरों में सकल (Aggregate) दर अनुसार एल–1 को निर्धारित किया जा सकेगा।

8. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर अनुवंध तत्काल निरस्त कर दिये जावेगें एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी, एवं सामग्री की आपूर्ति हेतु एल–02 फर्म से शेष अवधि के लिस अनुवंध किया जायेगा।
9. खाद्य सामग्री की दरें पूरे वर्ष के लिए चाही गई हैं। अतः निविदाकार को पूरे वर्ष तक उक्त सामग्री एवं अगली निविदा स्वीकृत न होने तक प्रदाय करना होगी। ऐसा न करने पर जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये राजसात की कार्यवाही की जावेगी।
10. खाद्य सामग्री आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे मे हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सालय, भोपाल किचिन मे उपलब्ध कराना होगी। सब्जियॉ साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक अनिवार्य रूप से चिकित्सालय के किचिन तक पहुंचानी होंगी। निर्धारित समय तक सब्जियाँ प्राप्त न होने पर मरीजों की भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से सब्जियाँ क्रय की जाएंगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली निविदाकर्ता को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी, ठेकेदार द्वारा विलंब से भेजी गई सब्जियाँ वापस कर दी जाएंगी जिसके लिये निविदाकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. सब्जी/फल आदि सामग्री ताजी एवं उच्च गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए जिस हेतु निविदाकार को प्रतिदिन हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सालय, भोपाल से अगले दिन के लिए प्रदाय होने वाली फल व सब्जी की मात्रा की जानकारी लेने हेतु आना पड़ेगा ।
12. निविदा मे सम्मिलित होने वाली फर्म को वर्तमान मे प्रचलित खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंर्तगत खाद्य विभाग से जारी पंजीयन के तहत पंजीकृत होने पर ही निविदा में सम्मिलित होने योग्य माना जावेगा अन्यथा निविदाकार की उक्त निविदा पर विचार नही किया जाकर निरस्त कर दी जावेगी ।
13. निविदाकार द्वारा प्रदाय कि गई समस्त खाद्य सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की न होने पर निविदाकार को उक्त सामग्री बदलकर देनी होगी अन्यथा प्रदाय सामग्री का भुगतान नही किया जावेगा ।
14. देयकों का भुगतान उपलब्ध बजट के आवंटन के हिसाब से शीघ्र करने की कार्यवाही की जावेगी।

17/3/25 17/03/25 17/3/25

निविदा/अनुबंध कार्य आदेश तिथि से एक वर्ष के लिए होगा। जो कि अगले वर्ष कार्य संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से निरंतर किया जावेगा। कार्य संतोषजनक न होने व निविदा की शर्तो का पालन न करने की स्थिति में समय से पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

16. अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं क्रय समिति को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बतायें अस्वीकृत करनें का अधिकार होगा, विवाद कि स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम रूप से माना जावेगा, जो कि सभी निविदाकारों को मान्य करना होगा ।

17. निविदाकार द्वारा कार्य में असमर्थता बताने या निविदा अवधी के बीच में कार्य छोडने पर जमा की गयी अमानत राशि जप्त कर ली जावेंगी एवं द्वितीय न्युनतम राशि वाले निविदाकार को आगामी शेष बचे हुये समय के लिये कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा।

18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदाकार न्यायालय में शिकायत करने के लिये अधिकृत नहीं होगा एवं ऐसा करने की अंतिम स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल म०प्र० होगा।

19. स्वीकृत की गयी निविदा की दरें एक वर्ष या आगामी निविदा स्वीकृत होने तक मान्य रहेंगी एवं निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदायगी कार्य संतोषजनक किये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त निविदायें उन्ही स्वीकृत दरों पर आगामी वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेंगी ।

20. सफल निविदाकार फर्म को संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो/निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा एवं जीवित फूड एवं ड्रग लायसेंस की प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा।

21. दाखिला समिति/चिकित्सालय अधीक्षक/चिकित्सालय खाद्य अधिकारी द्वारा समय समय पर खादय सामग्री का निरीक्षण किया जावेंगा एवं सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर अंतिम निर्णय होने तक उक्त समयावधि का भुगतान रोका/काटा जावेंगा ।

22. ई–निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।

23. निविदाकर्ता फर्म भोपाल नगर निगम सीमा में स्थापित होना चाहिये जिसका गुमास्ता तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

24. निविदाकर्ता के पास स्वयं अथवा फर्म का पैन नंबर होना चाहिये जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

25. निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

26. निविदाकर्ता फर्म को वित्तीय वर्ष 2023–24 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

17/3/25 17/03/2025 17/3/25

निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है, या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध समाप्त कर फर्म को Black listed किया जायेगा।

28. आवेदनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा/शपथ पत्र राशि रू. 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

29. ई–निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर) शामिल हो सकते हैं।

30. ई–निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

31. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, इसका पालन करना होगा।

32. ई–तकनीकी निविदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजो की सत्यापित प्रति का 01 सेट ई–तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

33. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।

34. ई–तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल वांछित दस्तावेजों (चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।

35. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन
शासकीय(स्वशासी) यूनानी चिकित्सा
महाविद्यालय, भोपाल।

17/3/25 17/03/2025 17/3/25

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन,शासकीय(स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल

(चिकित्सालय हेतु खाद्य सामग्री (सब्जी,फल,दूध) के स्थानीय क्रय हेतु निविदा का प्रारूप)

(ई–वित्तीय निविदा का प्रपत्र–02)

S.No	Name of the item	Quantity	Rate
	मौसमी सब्जी		
1.	गाजर	प्रति कि.ग्राम.	
2.	भिण्ड़ी	प्रति कि.ग्राम.	
3.	आलू	प्रति कि.ग्राम.	
4.	प्याज	प्रति कि.ग्राम.	
5.	फूलगोभी	प्रति कि.ग्राम.	
6.	कद्दू	प्रति कि.ग्राम.	
7.	हरा धनिया	प्रति कि.ग्राम.	
8.	पत्ता गोभी	प्रति कि.ग्राम.	
9.	टमाटर	प्रति कि.ग्राम.	
10.	टिण्ड़ा	प्रति कि.ग्राम.	
11.	परवल	प्रति कि.ग्राम.	
12.	हरी मिर्च	प्रति कि.ग्राम.	
13.	सेम फली	प्रति कि.ग्राम.	
14.	मैथी	प्रति कि.ग्राम.	
15.	पालक	प्रति कि.ग्राम.	
16.	मटर	प्रति कि.ग्राम.	
17.	खीरा	प्रति कि.ग्राम.	
18.	गिलकी	प्रति कि.ग्राम.	
19.	लौकी	प्रति कि.ग्राम.	
20.	शिमला मिर्च	प्रति कि.ग्राम.	
21.	मूली	प्रति कि.ग्राम.	
22.	करेला	प्रति कि.ग्राम.	
S.No	**Name of the item**	**Quantity**	**Rate**
	मौसमी फल		
23.	सेब	प्रति कि.ग्राम.	
24.	केला	प्रति कि.ग्राम.	
25.	संतरा	प्रति कि.ग्राम.	
26.	अमरूद	प्रति कि.ग्राम.	
27.	नाशपाति	प्रति कि.ग्राम.	
28.	मौसंवी	प्रति कि.ग्राम.	
29.	पपीता	प्रति कि.ग्राम.	
	अन्य		
30.	दूध 500 मि.ली.	प्रति पेकेट	

नोट–उक्त प्रपत्र प्रारूप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार दर राशि को ई–वित्तीय निविदा ऑनलाइन www.mptender.gov.in पर वित्तीय निविदा की एक्सल शीट BOQ में ही दर्ज करना है।

17/3/25 17/3/25 17/03/2025

//शपथ –पत्र //

मैं ....पिता श्री........................
...............................निवासी ....
....उम्र .... वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि ह.सै.जि.ह.शा.यूनानी महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में खाद्य सामग्री (सब्जी,फल,दूध) के स्थानीय क्रय हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तो का पूर्ण होशो–हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्ते मुझे मान्य है। एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक हैं एवं किसी भी शासकीय संस्था द्वारा मेंरी फर्म को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। निविदा की शर्तो का पालन नहीं करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त की जाती है, तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

गवाह/साक्षी के हस्ताक्षर	निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....
गवाह/साक्षी का नाम	निविदाकर्ता का नाम ....
मोबाइल नं0	मोबाइल नं0 ....

नोट :– उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 पांच सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

17/3/25 17/3/25 17/3/25

/ /चैक–लिस्ट / /

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तो अनुसार निम्न दस्तावेजो को तकनीकी निविदा प्रपत्र 01 अनुसार सबमिट करते समय आवश्यक रुप से संलग्न किया जाना है :–

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हॉ / नहीं
01	जीवित गुमास्ता संबधित कार्य का होना आवश्यक है जिसकी छाया प्रति	
02	पैन कार्ड की छाया प्रति	
03	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति (जी.एस.टी.जमा सम्बंधी विगत 01 वित्तीय वर्ष का ऑनलाईन पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)	
04	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2023–24 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में विगत 02 वित्तीय वर्षो की आयकर विवरणी / चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित।	
05	ई.एम.डी.राशि की ई–प्रिंटेड प्रति (प्रधानाचार्य हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय / स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के नाम से) अथवा एम.एस.एम.ई.पंजीयन प्रमाण–पत्र	
06	निविदाकार फर्म किसी शासकीय / अशासकीय / अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र की प्रति	
07	जीवित फूड एवं ड्रग लायसेंस की प्रति।	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

मोबाइल नं0 ....

नोट :–चैक लिस्ट के सरल क–01 से 07 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य / अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्ही अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।

17/3/25 17/03/2025 17/3/25